बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0 संख्या–भवन/10/आरोप(पटना)–16/2017......8877(अ)/ पटना, दिनांक– 5.10.17

:: संकल्प ::

श्री राम नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, धरहरा प्रशाखा, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–03, संरचना प्रमंडल संख्या–01, पटना, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध धरहरा प्रशाखा, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ, ग्रामीण कार्य विभाग के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के विरूद्ध संलग्न आरोप प्रपत्र–''क'' में अंतर्विष्ट आरोपों के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। जिसमें श्री कश्यप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता (पटना) को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री सुधीर कुमार रंजन, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण), उपभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कश्यप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता (पटना) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जाय।

बिहार राज्पाल के आदेश से,

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–16/2017......8877(अ)अनु/ पटना, दिनांक– 5.10.17

प्रतिलिपिः–आरोप प्रपत्र–''क'', जाँच–पत्रक एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री कश्यप कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता (पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर संपन्न कर जाँच अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–16/2017......8877(अ)अनु/ पटना, दिनांक– 5.10.17

प्रतिलिपिः– श्री सुधीर कुमार रंजन, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण), उपभाग, पटना, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री राम नरेश कुमार, तदेन कनीय अभियंता, धरहरा प्रशाखा, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ, ग्रामीण कार्य विभाग सम्प्रति सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल संख्या–03, संरचना प्रमंडल संख्या–01, पटना, भवन निर्माण विभाग आरोप प्रपत्र–''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–16/2017 8877 (ग) / पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–16/2017 8877 (ग) / पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन मिर्नाण विभाग/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–01, पटना/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26.9.17